

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(4)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 03/11/24.

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री महेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/ 1044/ 2000) को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अलवर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री अशोक कुमार शर्मा, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अलवर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता भय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलबटर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय भुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(4)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 03/12/24.

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री योगेन्द्र सिंह खटाणा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/904/2000) को विशिष्ट न्यायालय, अजा/अजजा(अ०नि०प्र०), अलवर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक अजा/अजजा(अ०नि०प्र०), अलवर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री कुलदीप जैन, विशिष्ट लोक अभियोजक, अजा/अजजा(अ०नि०प्र०), अलवर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

५०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

८१/ग्रृ
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(4)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 03/12/24

आदेश :

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं03 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं04 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हों, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, सं01, अलवर	श्री विनोद कुमार शर्मा (आर/ 93/ 95)	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं01, अलवर
2	विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, सं02, अलवर	श्री पंकज यादव (आर/ 3461/ 06)	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं02, अलवर
3	विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, सं03, अलवर	श्री सुनील कुमार शर्मा (आर/ 2655/ 02)	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं03, अलवर
4	विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, सं04, अलवर	श्री प्रशान्त यादव (आर/ 1787/ 14)	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं04, अलवर

निम्नांकित विशिष्ट लोक अभियोजकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम अभियोजक	पद नाम
1	श्री रोशनदीन	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं01, अलवर
2	श्री अशोक कुमार रौनी	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं02, अलवर
3	श्री राजकुमार गंगावत	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं03, अलवर
4	श्री अनूप कुमार	विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं04, अलवर

आज्ञा से

(राजेश गुप्ता)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री गहोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता भय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(4)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 03/12/24.

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं03 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं04 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:—

क्र.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं01, अलवर	श्री नवनीत कुमार तिवारी (आर/ 1647/05)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, अलवर
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं02, अलवर	श्री महेश चन्द मीना (आर/ 3415/07)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, अलवर
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं03, अलवर	श्री अजीत कुमार यादव (आर/ 3080/05)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03, अलवर
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं06, अलवर	श्री राधेश्याम शर्मा (आर/ 95/94)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं06, अलवर
5	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, राजगढ़	श्री राहुल दीक्षित (आर/ 175/03)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, राजगढ़

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:—

क्र.सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, अलवर
2	श्री सादिक खान	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, अलवर
3	श्री विजय कुमार सौगत	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03, अलवर
4	श्री भूपेश कुमार जायसवाल	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं06, अलवर
5	श्री सुरेश कुमार शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, राजगढ़

आज्ञा से



(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(4)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 03/12/24

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता (एनरोलमेंट नं 0 आर/2662/05) को अलवर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (सिविल) अलवर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री संतराम, अपर लोक अभियोजक (सिविल) अलवर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायिक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि